भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 290

मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

'एक जिला एक उत्पाद' पहल की स्थिति

290. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'एक जिला एक उत्पाद' पहल की वर्तमान स्थिति क्या है और चिह्नित किए गए विशिष्ट उत्पादों का जिलावार एवं राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा चिह्नित उत्पादों के संवर्धन एवं निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) चिह्नित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद-विशिष्ट अथवा जिला-विशिष्ट योजना तैयार करने में राज्यों की भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिला-विशिष्ट उत्पादों की पहचान करना किसानों एवं लघु उद्यमियों के लिए किस हद तक लाभकारी रहा है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले के कम से कम एक उत्पाद (एक जिला-एक उत्पाद) का चयन, ब्रांडिंग और संवर्धन करना है, ताकि सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके। ओडीओपी पहल के अंतर्गत देशभर के 782 जिलों से 1264 उत्पादों को चिह्नित किया गया है, जिनमें वस्त्र, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उत्पाद शामिल हैं। अद्यतन स्थिति के अनुसार, ओडीओपी पहल के तहत चिह्नित किए गए विशिष्ट उत्पादों (जिला और राज्य-वार) का विवरण डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है-

https://dpiit.gov.in/sites/default/files/ls290_Annexure_ODOPProductList_28.01.2025.pdf

(ख) : सभी ओडीओपी उत्पादों के संवर्धन और निर्यात के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें, घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से नियमित क्षमता निर्माण पहलें; गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) - ओडीओपी बाजार हेतु ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग अभियान शामिल हैं, जिसके अंतर्गत भारत के सर्वश्रेष्ठ ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित और स्टॉक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए, विदेशों में भारतीय दूतावासों से संपर्क, वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई है। इसके अलावा, इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में जी-20 बैठकों के दौरान उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए विभिन्न ओडीओपी उत्पादों का उपयोग किया गया।

इसके अलावा, डीजीएफटी की निर्यात हब रूप में जिला (डीईएच) पहल के तहत, देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से चिह्नित किया जाता है। इसके अलावा, डीईएच के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके संस्थागत तंत्र बनाया गया है। इस पहल के अंतर्गत, 590 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य-योजना तैयार की जा रही है। इसमें आपूर्ति श्रृंखला की मौजूदा बाधाओं का ब्यौरा दिया गया है तथा मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए संभावित उपायों को चिह्नित किया गया है। शेष जिलों के लिए भी यह योजना तैयार की जा रही है।

(ग) : एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल की सफलता और विकास में राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सभी उत्पादों का चयन मौजूदा ईकोसिस्टम, निर्यात की क्षमता और जीआई-टैग किए गए उत्पादों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। राज्य, उत्पादों के लिए अनूठी ब्रांडिंग विकसित करने, ओडीओपी नीतियां बनाने, मौजूदा औद्योगिक/एमएसएमई नीतियों के साथ एकीकरण करने, समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने, विक्रेता डेटाबेस बनाने, क्षमता निर्माण पहल करने, प्रदर्शनियों का आयोजन करने और ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने तथा कारीगरों और किसानों की सहायता करने के लिए प्लेटफार्म स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

(घ) : जिला-विशिष्ट उत्पादों की पहचान ने क्षेत्रीय वस्तुओं के लिए अनूठी पहचान बनाकर किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभान्वित किया है, जिससे बाजार में भिन्नता और प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में लाभ हुआ है। यह इन उत्पादों के लिए एक विशिष्ट बाजार बनाकर और बिक्री के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। उत्पाद और जिला विशिष्ट दृष्टिकोण, विशिष्ट क्षमता निर्माण पहलों, फोकस्ड ब्रांडिंग और विपणन पहलों, आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा व्यवधानों की पहचान करने और निर्यात संवर्धन के लिए केंद्रित प्रयासों की दिशा में लाभकारी रहा है।

*****